प्रेस नोट दि0- 11.05.2025

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

- थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना उदयपुर पुलिस के सहयोग से 25000/- रूपये का ईनामियां अभियुक्त गिरफ्तार-
- 25 हजार रूपये का ईनामियां अभियुक्त गिरफ्तार
- मु0अ0सं0- 140/2025 धारा- 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज से वांछित इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
- गिरफ्तार ईनामियां अभियुक्त के कब्जे से तमन्चा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद ।
- अभियुक्त के विरुद्ध लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा, गैंगस्टर जैसे 01 दर्जन मुकदमें हैं पंजीकृत
- अभियुक्त कल्लन उर्फ साबिर के विरुद्ध थाना उदयपुर, थाना लालगंज व थाना कोतवाली देहात में मुकदमें हैं पंजीकृत
- अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र चौराहे के पास से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव मय हमराह व थानाध्यक्ष उदयपुर राधेश्याम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, तलाश वांछित अभियुक्तो व वारण्टी के दौरान मु0अ0सं0-140/2025 धारा- 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़ में वाँछित 25 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त कल्लन उर्फ साबिर पुत्र तन्ने उर्फ जुम्मन निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व मोटरसाइकिल के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 169/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त कल्लन उर्फ साबिर उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1- कल्लन उर्फ साबिर पुत्र तन्ने उर्फ जुम्मन निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया की दिनांक 21.04.2025 को अपने साथी के साथ सराय राजू जंगल में पुलिस के ऊपर फायरिंग करने में मैं भी था। अंधेरे में मैं किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया था लेकिन मेरे साथी सलमान को मौके पर गोली लगने के

कारण पकड़ लिया गया था। तभी से मैं इधर-ऊधर छुप-छुपाकर रह रहा था। जैसे ही मैने आप लोगो/पुलिस को देखा तो बाइक मोड़कर बचने के लिए भागने लगा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

अभियुक्त कल्लन उर्फ साबिर पुत्र तन्ने उर्फ जुम्मन निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0-123/2025 धारा- 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

02- मु0अ0सं0-115/2019 धारा- 323/504 भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

03- एनसीआर-09/2017 धारा- 323/504 भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

04- मु0अ0सं0- 22/2020 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

05- मु0अ0सं0- 177/2020 धारा- 411/413 भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

06- मु0अ0सं0- 31/2021 धारा-2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

07- मु0अ0सं0- 301/2021 धारा- 394/286 भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

08- मु0अ0सं0- 16/2022 धारा- 3(1) यूपी गुण्डा अधि0 थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

09- मु0अ0सं0- 39/2022 धारा- 110जी सीआरपीसी थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

10- मु0अ0सं0- 57/2024 धारा- 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, प्रतापगढ़।

11- मु0अ0सं0- 140/2025 धारा- 109(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

12- मु0अ0सं0- 15/2025 धारा- 302(2),112 बीएनएस थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

बरामदगी

01- 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

02- मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेन्डर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव मय हमराह निरी0 विजय कुमार सत्यार्थी, उ0नि0 विवेक यादव, उ0नि0 राजेन्द्र राम, उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 प्रशान्त दुबे, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा, हे0 का0 जाहिद हुसैन, आरक्षी माधवेश राय, आरक्षी सचिन कुमार, आरक्षी ऋषिराज यादव, का0 दुर्गा प्रसाद यादव, का0 नीतीश कुमार, का0 संजय कुमार, का0 चालक अभिमन्यू सिंह , का0 चालक संतोष यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थानाध्यक्ष उदयपुर उ0नि0 राधेश्याम मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, उ0नि0 घनश्याम, का0 गिरजाशंकर, का0 भागीरथी सिंह, का0 विधिचन्द्र, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह, का0 चालक बृजमोहन चौधरी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

- मोटर साइकिल चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पुलिस की गिरफ्त में-
- पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी
- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर के पास अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना स्थल का विवरण-

दिनांक- 27.04.2025 को वादी की मोटर साइकिल अपाचे थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय बहेलिया से चोरी हो गई थी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/25 अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, का0 अनुज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 107/25 अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात से संबंधित 01 अभियुक्त अमित यादव सुत गंगा प्रसाद यादव उम्र 26 वर्ष नि0 ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः-

आरोपी द्वारा बताया गया कि जिस मोटर साइकिल से पकड़ा गया, उसको उसके छोटे भाई रोहन यादव पुत्र गंगा प्रसाद यादव, निवासी रूपापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ व भतीजे सागर यादव पुत्र पंकज यादव, निवासी सरियापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सराय बहेलिया गांव के पास से चोरी की गई थी। हम लोगों ने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया है, जो आर्थिक लाभ हेतु वाहन चोरी, लूट व फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते है। चोरी किए गए वाहनों को ग्राहकों को बेचकर प्राप्त धन को आपस में बांटते हैं और उसी से जीवन यापन करते हैं। बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है परंतु कई बार पकड़े नहीं गए हैं। हम लोगों का काम ही वाहनों की चोरी / लूट करना है तथा उसे बेचकर धन अर्जित करना है। हम तीनों अभियुक्त सुविधा के अनुसार कभी साथ में, कभी दूसरे के साथ कभी अकेले अपराध को अंजाम देते है।

प्रकाश में आये अन्य 02 अभियुक्तों, रोहन यादव और सागर यादव वर्तमान समय में फरार चल रहे है। स्थानीय पुलिस द्वारा जिन्हे चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमित यादव सुत गंगा प्रसाद यादव उम्र 26 वर्ष नि0 ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल अपाचे बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- अभियुक्तों को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत नीलकंठ ढ़ाबा NH2 हाइवे समसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-
- अभियुक्त अबू सईद उर्फ इमराम उपरोक्त पर जनपद में लूट, हत्या का प्रयास, धौखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे संगीन अपराध में लगभग 07 अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार*द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में *अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार व का0 विजय कुमार व का0 चन्द्रपाल सिंह, का0 अमित कुमार सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 11.05.2025 को 04 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त अबू सईद उर्फ इमराम पुत्र इबने अहमद उर्फ इब्ने अहमद निवासी हटवा अहमदपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत नीलकंठ ढ़ाबा NH2 हाइवे समसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से बरामद 04 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 81/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अबू सईद उर्फ इमराम पुत्र इबने अहमद उर्फ इब्ने अहमद निवासी हटवा अहमदपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।

अभियुक्त अबू सईद उर्फ इमराम पुत्र इबने अहमद उर्फ इब्ने अहमद निवासी हटवा अहमदपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 521/17 धारा 392/411/506 भादवि थाना- पूरामुफ्ती कौशाम्बी।
2. मु0अ0सं0- 102/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना-पूरामुफ्ती कौशाम्बी।
3. मु0अ0सं0- 103/18 धारा 411/419/ 420/ 467/ 472 भादवि थाना- पूरामुफ्ती कौशाम्बी।
4. मु0अ0सं0- 54/22 धारा 147/308/323/325/452/504/506 भदवि थाना- पूरामुफ्ती नगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0- 07/24 धारा 186/353 भादवि थाना- मोहब्बतपुर पइंस कौशाम्बी।
6. मु0अ0सं0- 252/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना-मंझनपुर कौशाम्बी।
7. मु0अ0सं0-81/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना-हथिगवां प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01- 04 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार व का0 विजय कुमार व का0 चन्द्रपाल सिंह, का0 अमित कुमार सिंह थाना हथिगवां, प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 05 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चौहर्जन पुल के पास ग्राम परसुरामपुर से गिरफ्तार किया गया-
- अभियुक्त रईश उपरोक्त पर जनपद में गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे संगीन अपराध में लगभग 06 अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार चौरसिया मय हमराह का विकास बाबू, का० दिलीप कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 11.05.2025 को 05 अदद देशी नाजायज बम के साथ 01 अभियुक्त रईश पुत्र तौफीक निवासी ग्राम सराय भरत राय थाना रानीगज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चौहर्जन पुल के पास ग्राम परसुरामपुर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से बरामद 05 अदद देशी बम की बरामदगी के संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 133/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रईश पुत्र तौफीक निवासी ग्राम सराय भरत राय थाना रानीगज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

अभियुक्त रईश पुत्र तौफीक निवासी ग्राम सराय भरत राय थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 37/2019 धारा 429 भादवि व 3/5/8 गौबध अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 40/2019 धारा 4/25/27 आयुध अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 93/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 255/2023 धारा 3/5/8 गौबध अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 357/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 133/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ   अधिनियम थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01- 05 अदद देशी नाजायज बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राकेश कुमार चौरसिया मय हमराह का विकास बाबू, का० दिलीप कुमार थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोहंडौर के उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव मय हमराह का० राहुल कुमार व का0 संतोष कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 11546/21 मु0अ0स0 12/14 धारा 392 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 01. बहराईच उर्फ गोली पुत्र राम सुमेर निवासी ग्राम कान्धरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।
थाना कोहंडौर के विवेक कुमार यादव मय हमराह का० राहुल कुमार व का0 संतोष कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 15006/2023 मु0अ0स0 03/2023 धारा 452/406/323/504/506 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी 02 अभियुक्तों, 01. हसनैन अली पुत्र मो0 इसराइल उम्र करीब 59 वर्ष, 02. मशीद पुत्र हसनैन अली उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण वाजिदपुर, रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ बघेऊ पुत्र भोलानाथ यादव उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।
थाना कोहंडौर के उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार दूबे मय हमराह का० प्रवीण यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 14968/2024 मु0अ0स0 148/22 धारा 147/323/324/504/506 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01. घेऊ पुत्र भोलानाथ यादव उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. बहराईच उर्फ गोली पुत्र राम सुमेर निवासी ग्राम कान्धरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष
02. हसनैन अली पुत्र मो0 इसराइल उम्र करीब 59 वर्ष,
03. मशीद पुत्र हसनैन अली उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण वाजिदपुर, रामापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़
04. घेऊ पुत्र भोलानाथ यादव उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम सरौली थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव, उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार दूबे मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 प्रवीण यादव व का0 संतोष कुमार थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री शिवा प्रजापति मय हमराह का रामप्रकाश यादव, का0 राहुल कुमार, का0 सचिन भदौरिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 47/2008 अ0सं0 11/2008 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना महेशगंज से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01.अशोक कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मीनारायण मिश्रा निवासी भिक्षु का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ, 02. बृजेन्द्र भूषण मिश्रा पुत्र लक्ष्मीनारायण मिश्रा निवासी भिक्षु का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अशोक कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मीनारायण मिश्रा निवासी भिक्षु का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।
02. बृजेन्द्र भूषण मिश्रा पुत्र लक्ष्मीनारायण मिश्रा निवासी भिक्षु का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री शिवा प्रजापति मय हमराह का रामप्रकाश यादव, का0 राहुल कुमार, का0 सचिन भदौरिया थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव व का० देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 1700 /04 अ0स0 91/98 धारा 324/504/506 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01.जगबहादुर पुत्र गंगादीन निवासी ससरियापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ 02. अमरनाथ उर्फ वंशी हरिजन पुत्र राजाराम निवासी ससरियापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01.जगबहादुर पुत्र गंगादीन निवासी ससरियापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।
02.अमरनाथ उर्फ वंशी हरिजन पुत्र राजाराम निवासी ससरियापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव व का० देवेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन
- रंगदारी, के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को रंगदारी के 500 रुपये के साथ किया गया गिरफ्तार
- थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत दीवान का पुरवा कल्यानपुर कला के पास से गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त घटना का विवरण-
दिनांक 09.05.2025 को वादिनी से आरोपीगणों द्वारा रास्ते में टेकनियापुर के पास गाड़ी रोक लेना व प्रोग्राम करने के नाम पर 20000/- रुपये की रंगदारी मांगने व हर महीने रंगदारी का महीना पहुंचाने व मारपीट के प्रकरण में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 86/2025 धारा 308(5)/126(2) /351(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 सत्यम तिवारी मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2025 धारा 308(5)/126(2) /351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायण दास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को रंगदारी के 500/- रुपये के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत दीवान का पुरवा कल्यानपुर कला के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायण दास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी–

अभियुक्त के कब्जे से 500 रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01- सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पूरे नारायण दास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

1-मु0अ0सं0 166/2020 धारा 380/457 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

2-मु0अ0सं0 132/2024 धारा 109/115(2)/191(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

3-मु0अ0सं0 171/2020 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

4-मु0अ0सं0 244/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोड़वार जनपद सुल्तानपुर कोड़वार जनपद सुल्तानपुर

5-मु0अ0सं0 233/2021 धारा 342/394/411 भदवि थाना कोड़वार जनपद सुल्तानपुर कोड़वार जनपद सुल्तानपुर

6-मु0अ0सं0 86/2025 धारा 308(5)/126(2)/351(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 सत्यम तिवारी मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।